न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 08 / 2020
निर्णय दिनांक– 30.12.2020

प्रार्थी
1. तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी
1. रामूराम पि. गंगाराम वगैरह जाति जाट
निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.01.2020 को पेश किया गया था। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजियात का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि तहसील भोपालगढ़ के राजस्व ग्राम बागोरिया के खसरा नं. 1422 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि रामूराम पि. गंगाराम वगैरह जाति जाट निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़ के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि पर अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ बतौर खातेदार काबिज है।

2. यह हैं कि अप्रार्थी को उपर्युक्त भूमि पर केवल खातेदार अधिकार प्राप्त है जिसके अन्तर्गत खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने, कृषि उपज एवं प्राकृतिक पैदावार प्राप्त करने का अधिकार होता है। परन्तु अप्रार्थी खातेदारान ने खातेदारी शर्तों को भंग कर, कृषि भूमि खसरा नं. 1422 के रकबा 04 बिस्वा 03 बिंस्वासी में अवैध रूप से मोवाईल टावर लगा रखा है। अप्रार्थी उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर मोबाईल टावर लगाकर कृषि भूमि नष्ट–भ्रष्ट कर रहा है। अप्रार्थी कृषि भूमि पर मोबाईल टावर लगाकर जो कृषि भूमि के लिये हानिप्रद है तथा अप्रार्थी खातेदारान के इस कृत्य से काबिल कृषि भूमि नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएगी।

पटवारी रिपोर्ट एवं मौके पर्चे के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1422 रकबा 06–02 बीघा किस्म बारानी प्रथम कृषि भूमि पर अप्रार्थी के खेत में मोवाईल टावर लगा हुआ पाया गया है और खातेदार द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि (अकृषि) उपयोग होना बताया गया है, मौके पर मौजूद मौतबिरानों से पूछताछ करने पर पाया कि मोवाईल टावर रामूराम पुत्र गंगाराम वगैरह जाति जाट के खेत में है।

तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्र में उक्त आराजियात खसरा नं. 1422 पर मोबाईल टावर लगाना बताया गया है, साथ ही खातेदारों की बेदखली करने के साथ भूमि को रकबा राज घोषित करने की अनुशंसा की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु तहसीलदार भोपालगढ़ ने निवेदन किया। प्रार्थनापत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न हैः–

1. नकल जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पटवार हल्का रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति।
3. प्रार्थनापत्र की अतिरिक्त प्रतियां।

30.12.2020
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थनापत्र को दिनांक 16.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किए गये। नोटिस तामिल होने के पश्चात् शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई जवाब नही मिला अतः पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 30.12.2020 को पेश करने का आदेश दिया गया। दिनांक 30.12.2020 तक भी अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में न्यायालय निम्नलिखित निर्णय पर पहुंची है।

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नही किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है।

खातेदार द्वारा काश्त करने के प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि का उपयोग अवैध मोबाईल टावर लगाने हेतु किया गया है। उक्त कार्य किसी भी प्रकार से अथवा दशा में कृषि (काश्तकारी) के लिये हितकर नही है। उक्त कार्य लम्बी समयावधि से किया जा रहा है, जो कृषि जोत हेतु योग्य भूमि के लिये अहितकर है। तहसीलदार भोपालगढ़ व पटवारी रिपोर्ट व मौका फर्द के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1422 के रकबा 04 बिस्वा 03 बिस्वांसी भूमि पर अवैध रूप मोबाईल टावर का लगाना पाया गया है।

अतः राजस्व ग्राम बागोरिया में खसरा नं. 1422 के रकबा 04 बिस्वा 03 बिस्वांसी भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन(खातेदारी) को बिलानाम (रकबा राज) घोषित करने का आदेश जारी किया जाता है। तहसीलदार भोपालगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेश की पालना करवाकर पालना रिपोर्ट 20 (बीस) दिवस में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

आदेश आज दिनांक 30.12.2020 को खुले इजलास में सुनाया गया।

30.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलेक्टर
(आर.ए.एस.) अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकदद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत– न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़
इजलासः– श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 08/2020
निर्णय दिनांक– 30.12.2020

प्रार्थी
1. तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी
1. रामूराम पि. गंगाराम वगैरह जाति जाट
निवासी बागोरिया तहसील भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। भू–धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ़ के आवेदन में स्पष्ट अंकित किया गया है कि अभिधारी अपनी खातेदारी जमीन पर ऐसे कार्य व्यापार अथवा उपयोग को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है, जो जोत की भूमि के लिए अहितकर है और साथ ही साथ जिस प्रयोजनार्थ भूमि का आंवटन हुआ था, उससे असंगत है। अभिधारी द्वारा धारा 177(5) के अंतर्गत बेदखली होने के दायित्व का प्रतिवाद नही किया, जिस कारण न्यायालय एकपक्षीय आदेश करने हेतु पूर्णतया सक्षम है। डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम बागोरिया में खसरा नं. 1422 रकबा 04 बिस्वा 03 बिस्वांसी भूमि को बिलानाम घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटा उक्त आराजियात को बिलानाम (रकबा राज) को घोषित किया जाता है। खातेदार का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर पूर्ण जमीन खातेदारी को बिलानाम करने का आदेश जारी किया जाता है। बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में डिक्री आज दिनांक 30.12.2020 को जारी की गई।

30.12.2020
सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस)
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	आ.	पा.	प्रतिवादी	रूपये	आ.	पा.
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–	2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	–	–	–
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–	3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	–	–	–
4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–	4. ....रूपये परप्लीडर की फीस	–	–	–
5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–	5. साक्ष्यों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	–
6. कमिश्नर फीस	–	–	–	6. कमिश्नर फीस	–	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–	–	7. आदेशिका की तामील	–	–	–
योग	–	–	–		–	–	–

प्रतिलिपिः– तहसीलदार भोपालगढ़ को पालनार्थ।

30.12.2020
सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस)
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

Scanned with CamScanner